12339

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE : DELHI.
POLICE HEADQUARTERS, JAI SINGH ROAD, NEW DELHI 110001.
Telephone No. 011-23746100 Extn. 69970

FOR PUBLICATION IN THE DELHI POLICE GAZETTE :: DELHI

NOTIFICATION

Dated : 01/10/2026

No.A/1/3(IV-13)/2025/69428/Prom. Cell/CB-IV/PHQ: **ADHOC PROMOTION**: The Commissioner of Police, Delhi is pleased to grant adhoc promotion to **W/HC (Exe.) Renu Kumari, No. 1517/NE (PIS No. 28090700) (SC)** to the rank of W/ASI (Exe.) against the existing vacancies, whose names exist on Promotion List for the post of W/ASI (Exe.) with immediate effect for a period of six months or till such time she becomes eligible for regular promotion after having been successfully completed the Asstt. Sub-Inspector Confirmation Course, whichever is earlier under Rule 19 (i) of Delhi Police (Promotion & Confirmation) Rules, 1980.

She will not be entitled to claim any right for regular appointment or seniority or for appointment to such or any other equivalent post and shall be liable for reversion without any notice and without assigning any reason. The adhoc promotion shall be discontinued from the date when promote is declared medically unfit for promotional training course or she denies to undergo the prescribed training course alongwith her batchmates or she fails in relevant promotional training course or she is placed under suspension or DE is ordered or any criminal case is registered or awarded censure on allegations of moral turpitude or corruption pursuant to major penalty proceedings.

C.G. NO. P01026-143-0001

(ARUN K. SHARMA) ADDL. DCP/HQ-IV
FOR COMMISSIONER OF POLICE:
NEW DELHI.

No.A/1/3(IV-13)/2025/69429-40/Prom. Cell/CB-IV/PHQ dated Delhi the 01/10/2026.

Copy to:-

1. DCsP/North East District & Welfare, Delhi for necessary action. The individual may be informed accordingly against her proper receipt.
2. ACP/IT (PHQ), Delhi.
3. Inspector 'P' Branch/PHQ for information and n/a.
4. Inspector Estt.Branch/PHQ for publication in Delhi Police Gazette.
5. I/C Hindi Cell/PHQ for necessary action
6. I/C Computer/CB for uploading the same in the website of Delhi Police.
7. ACs-R, II, U & VIII with 1 spare copy for preparing her personal file.

P.T.O.

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE : DELHI.
POLICE HEADQUARTERS, JAI SINGH ROAD, NEW DELHI 110001.
Telephone No. 011-23746100 Extn. 69970

दिल्ली पुलिस राजपत्र :: दिल्ली में प्रकाशन हेतु

अधिसूचना

दिनांक : 01/10/2026

सं. A/1/3(IV-13)/2025/69428**/प्रोम. सेल/सीबी-IV/पीएचक्यू : तदर्थ पदोन्नति** : पुलिस आयुक्त, दिल्ली, **W/HC (Exe.) रेनू कुमारी, नं. 1517/NE (PIS नं. 28090700) (SC)** को विद्यमान रिक्तियों के विरुद्ध W/ASI (Exe.) के पद पर तदर्थ पदोन्नति प्रदान करने की कृपा करते हैं, जिनका नाम W/ASI (Exe.) के पद हेतु पदोन्नति सूची में विद्यमान है। यह पदोन्नति तत्काल प्रभाव से छह माह की अवधि के लिए अथवा जब तक वह सहायक उप-निरीक्षक पुष्टिकरण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरांत नियमित पदोन्नति हेतु पात्र हो जाती हैं, इनमें से जो भी पहले हो, दिल्ली पुलिस (पदोन्नति एवं पुष्टिकरण) नियम, 1980 के नियम 19 (i) के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

उन्हें नियमित नियुक्ति अथवा वरिष्ठता अथवा उक्त पद या किसी अन्य समकक्ष पद पर नियुक्ति के संबंध में किसी अधिकार का दावा करने का हक नहीं होगा तथा उन्हें बिना किसी नोटिस के और बिना कोई कारण बताए प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा। तदर्थ पदोन्नति उस दिन से समाप्त मानी जाएगी, जिस दिन पदोन्नत कर्मचारी को पदोन्नति प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हेतु चिकित्सकीय रूप से अयोग्य घोषित किया जाता है अथवा वह अपने बैचमेट्स के साथ निर्धारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेने से इनकार करती हैं अथवा वह संबंधित पदोन्नति प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में असफल रहती हैं अथवा उन्हें निलंबन के अधीन रखा जाता है अथवा विभागीय जांच का आदेश दिया जाता है अथवा उनके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज किया जाता है अथवा प्रमुख दंड कार्यवाही के उपरांत नैतिक अधमता या भ्रष्टाचार के आरोपों पर निंदा दंड प्रदान किया जाता है।

कंप्यूटर जनित संख्या. P 01 1026-143- 0002

(अरुण के. शर्मा)
अपर पुलिस उपायुक्त/मुख्यालय-IV
पुलिस आयुक्त की ओर से :
नई दिल्ली।

सं. A/1/3(IV-13)/2025/69429-40/प्रोम. सेल/सीबी-IV/पीएचक्यू दिनांक दिल्ली, 01/10/2026

प्रतिलिपि :

1. उपायुक्त पुलिस/उत्तर-पूर्व जिला एवं कल्याण, दिल्ली को आवश्यक कार्रवाई हेतु। संबंधित कर्मचारी को उचित प्राप्ति रसीद के विरुद्ध तदनुसार सूचित किया जाए।
2. सहायक पुलिस आयुक्त/आईटी (पीएचक्यू), दिल्ली।
3. निरीक्षक 'पी' शाखा/पीएचक्यू को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
4. निरीक्षक स्थापना शाखा/पीएचक्यू को दिल्ली पुलिस राजपत्र में प्रकाशन हेतु।
5. प्रभारी/हिंदी प्रकोष्ठ/पीएचक्यू को आवश्यक कार्रवाई हेतु।
6. प्रभारी/कंप्यूटर/सीबी को दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर इसे अपलोड करने हेतु।
7. एसी-आर, II, U एवं VIII को उनकी व्यक्तिगत फाइल तैयार करने हेतु 1 अतिरिक्त प्रति सहित।

P.T.O.